राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

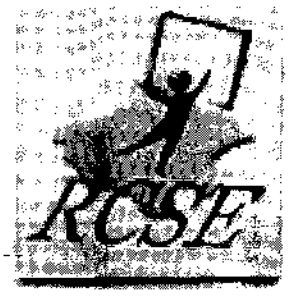

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

दूरभाष: 0141--2709846, 2700872 ई-मेल: spdrmsaraj@gmail.com

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-- 302017

54

संरक्षक :

वीनू गुप्ता, आई.ए.एस.
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

सह–संरक्षक :

भास्कर ए सावंत, आई.ए.एस.
शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

निर्देशन :

डॉ. वीना प्रधान, आई.ए.एस.
निदेशक (मा.शि.) एवं राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

सह–निर्देशन :

सीमा सिंह, आर.ए.एस.
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

सम्पादन :

रवीन्द्र कुमार लाटा
उप निदेशक (योजना)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

विशेष प्रयास :

संजय कुमार शर्मा
एम.आई.एस. प्रभारी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

(75)

वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् : एक परिचय	2–5
2	माध्यमिक शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र (SEMIS)	6–8
3	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) : प्रगति विवरण	9–12
4	ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2011–12	13–20

अध्याय –1

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् : एक परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बालिकाओं व समाज के पिछड़े वर्गों की सहभागिता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार व विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं किन्तु, सर्व शिक्षा अभियान सहित प्रारंभिक शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों की सफलता के कारण प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले समाज के कमज़ोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बालक–बालिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई विद्यार्थी संख्या को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के उचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने स्वतंत्रता दिवस 2007 के राष्ट्रीय उद्बोधन में माध्यमिक शिक्षा की पहुँच के सार्वजनीकरण की योजना SUCCESS (Scheme for Universalization of Access at Secondary Stage) प्रारंभ करने की घोषणा की थी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उक्त उद्घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों तथा बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ही वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर तीन नई परियोजनायें प्रारंभ की गई। ये परियोजनायें हैः–

(1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(2) बालिका छात्रावास योजना

(3) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना।

राजस्थान में इन परियोजनाओं की प्रभावी तथा समयबद्ध ढंग से क्रियान्विती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत 'राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्' सोसायटी का गठन किया गया। इस सोसायटी का पंजीकरण 03 सितम्बर, 2009 को करवाया गया था। परिषद् ने पंजीयन के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ कर दिया। परिषद् के संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय निष्पादक समिति की स्थापना की गई। राजस्थान

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग हैं। परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, निष्पादक समिति के सचिव हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शाषी परिषद् का भी गठन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निष्पादक समिति की प्रत्येक तीन माह में तथा शाषी परिषद् की वर्ष में एक बार बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 20011–12 मे निष्पादक समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया.

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यों का संचालन राज्य परियोजना निदेशक द्वारा किया जाता है। राज्य परियोजना निदेशक का सहयोग करने हेतु अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक की नियुक्ति की गई है। राज्य परियोजना निदेशक का कार्यभार माध्यमिक शिक्षा निदेशक/आयुक्त को ही पदेन रूप से दिया जाता है। अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इन अधिकारियों के नियंत्रणाधीन शाखाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परिषद् का समस्त कार्य संपादित किया जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्य करने वाली विभिन्न शाखायें निम्न प्रकार हैं:–

(i) **लेखा व वित्त शाखा:–** इस शाखा में लेखा व वित्त संबंधी कार्यों हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी के नेतृत्व में राज्य व जिला परियोजना कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, लिपिक वर्ग के कर्मचारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि कार्यरत हैं।

(ii) **सिविल निर्माण कार्य शाखा:–** सिविल निर्माण कार्य हेतु इस शाखा में अधिशाषी अभियंता के नेतृत्व में राज्य परियोजना मुख्यालय पर एक सहायक अभियंता एवं एक कनिष्ठ अभियंता कार्यरत हैं। जिला स्तर पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक जिले में एक सहायक अभियंता तथा एक कनिष्ठ अभियंता का पद स्वीकृत किया गया है। यद्यपि अधिकांश जिलों में परिषद के स्वयं के अभियंता नियुक्त किये गये हैं; किंतु, कुछ जिलों में सर्व शिक्षा अभियान की सिविल शाखा का सहयोग भी किया गया हैं।

(iii) **अकादमिक शाखायें:–** इन शाखाओं में एक उपनिदेशक, एक सहायक निदेशक व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की टीम की नियुक्त की गई है। यह टीम विभिन्न योजनाओं के अकादमिक कार्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। परिषद् पर कार्यरत विभिन्न अकादमिक शाखायें निम्न प्रकार हैं:–

(अ) बालिका छात्रावास व संस्थापन

(ब) मॉडल स्कूल व एक्सेस

(स) गुणवत्ता, इक्विटी, प्रशासन व प्रशिक्षण

(द) योजना व मॉनिटरिंग

परिषद् द्वारा संचालित होने वाली परियोजनाओं को राज्य की परिस्थितियों व विभागीय व्यवस्थाओं में तारतम्य की दृष्टि से एवँ इन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से परिषद में कार्यरत अकादमिक, प्रशासनिक व संस्थापन शाखा में कार्य करने वाले अधिकारी राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये हैं।

राज्य स्तर पर स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण:– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य परियोजना कार्यालय में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. स.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	राज्य परियोजना निदेशक	01	01	0	निदेशक (मा.शि.) ही पदेन राज्य परियोजना निदेशक हैं।
2.	अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक	01	01	0	
3.	संयुक्त निदेशक	02	0	0	2 उ. नि. संयुक्त निदेशक के पदों के विरूद नियुक्त हैं।
4.	उपनिदेशक	02	04	0	
5.	अधिशाषी अभियंता	01	01	0	
6.	सहायक अभियता	01	01	0	
7.	कनिष्ठ अभियता	02	01	01	
8.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01	01	0	
9.	सहायक लेखा अधिकारी	01	01	0	
11.	कनिष्ठ लेखाकार	02	01	01	
12.	सहायक निदेशक	05	05	0	
13.	एम.आई.एस. प्रभारी	01	01	0	
14.	निजी सहायक	03	02	01	
15.	वरिष्ठ लिपिक	02	01	01	
16.	कनिष्ठ लिपिक	01	01	0	
17.	डेटा एण्ट्री ऑपरेटर	02	01	01	
18.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	08	08	0	
19.	सहायक कर्मचारी (संविदा पर)	10	10	0	
20.	योग	46	41	5	

जिला स्तर पर स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरणः– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के जिला परियोजना कार्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. स.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	जिला परियोजना समन्वयक	33	31	2	जि.शि.अ. (मा.शि.) ही पदेन जि.प.स. हैं।
2.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	33	31	2	प्रशासनिक व्यय हेतु एम. एम. ई. आर. मद में न्यून राशि प्राप्त होने के कारण जिले में कार्यरत अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन परियोजना मद से आहरित करने के स्थान पर उनके मूल विभाग से ही आहरित किया गया है।
3.	सहायक लेखाधिकारी	33	17	16	
4.	सहायक अभियंता	33	12	21	
5.	कनिष्ठ लेखाकार	33	4	29	
6.	कनिष्ठ अभियंता	33	15	18	
7.	कार्यक्रम अधिकारी	99	0	99	
8.	कनिष्ठ लिपिक	66	0	66	
9.	आशु लिपिक	33	0	33	
10.	एम.आई.एस. प्रभारी	33	0	33	
11.	कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा	99	44	55	
12.	सहायक सेवा	99	7	92	
	योगः	**627**	**161**	**466**	

अध्याय –2

माध्यमिक शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र (SEMIS)

किसी भी योजना की सफलता योजना निर्माण हेतु प्रयुक्त आँकड़ों की विश्वसनीयता व शुद्धता पर निर्भर करती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजनाओं में सही व सटीक आँकड़ों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राज्य में माध्यमिक शिक्षा प्रबंध एवं सूचना तंत्र (Secondary Education Management Information System- SEMIS) विकसित किया गया है। इस सूचना व प्रबंध तंत्र के अन्तर्गत विद्यालय स्तर से सूचनायें प्राप्त कर उनका जिला व राज्य स्तर पर विश्लेषण व उपयोग किया जाता है। विद्यालयों से सूचना एकत्र करने हेतु डेटा केप्चर फार्मेट (DCF) का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2010–11 के दौरान विभिन्न विद्यालयों से प्राप्त डीसीएफ में दर्ज की गई सूचनाओं को जिला स्तरीय अधिकारियों की देखरेख में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वेबसाइट rajramsa.nic.in पर तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) की वेबसाइट www.semisonline.net पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर में भरा जाना था। इस कार्यक्रम का चरणवार विवरण निम्न प्रकार है:–

1. **डी.सी.एफ. का वितरण** – गत वर्ष की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपनाते हुए वर्ष 2010–11 में विद्यालयों को विद्यालयवार DCF वितरित करने के स्थान पर न्यूपा द्वारा तय किए डेटा कैप्चर फॉर्मेट (DCF) को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् व राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी विद्यालयों को निर्देश दिए गए कि वे सेमिस (SEMIS) के लिए आवश्यक (DCF) को न्यूपा/रा.मा.शि.प./मा.शि. विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें। इस पूरी प्रक्रिया का समाचार पत्रों के माध्यम से अत्यंत व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया।
2. **डी.सी.एफ. के प्रकार:–** विद्यालयों को निम्न प्रकार के DCF भरने हेतु दिये गये थे–
   (i) डी.सी.एफ. भाग–एक:– यह न्यूपा द्वारा जारी डी.सी.एफ है।
   (ii) डी.सी.एफ. भाग–दो:– यह राज्य स्तर पर विकसित किया गया डी.सी.एफ. है। इसमें राज्य स्तर पर आवश्यक विभिन्न सूचनायें संकलित की गई हैं।

(81)

(iii) विद्यालय आवश्यकता आंकलन (SIP) प्रपत्रः– वर्ष 2012–13 की विद्यालय वार्षिक योजना बनाने के लिए विद्यालयों में उपलब्ध एवँ आवश्यक सभी प्रकार के संसाधनों की वास्तविक भौतिक स्थिती की पहचान करने के लिए यह प्रपत्र भी राज्य स्तर पर विकसित किया गया है

3. **DCF भरना** – सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया कि उक्त तीनों प्रपत्रों को विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ व विकास समिति के सहयोग से स्वयं भरा जावे। यह DCF दो प्रतियों में भरवाये गये हैं। विद्यालय द्वारा भरे गये DCF की एक प्रति (School copy) स्वयं विद्यालय द्वारा भविष्य में संदर्भ के रूप में उपयोग करने हेतु विद्यालय में रखी जाती है तथा दूसरी प्रति (Computer copy) ऑन लाइन फीडींग हेतु जिला कार्यालय को दी जाती है।

4. **डीसीएफ का संग्रहण व जाँच,** – विद्यालयों द्वारा भरे हुए तीनों DCF एकत्र करने हेतु लगभग 40–50 विद्यालयों को मिलाकर एक नोडल केन्द्र बनाया गया है। प्रत्येक नोडल विद्यालय में एक टीम का गठन किया गया है। यह टीम उनके बताये गये विद्यालयों से DCF का संग्रहण करती है। यही टीम इन DCF की उसी समय जाँच कर गलत किए गए इन्द्राज को संशोधित भी करवाती है।

5. **डीसीएफ की फीडिंग करना व डेटा का शुद्धिकरण करवाना** – नोडल विद्यालयों द्वारा जाँचे गये समस्त DCF को जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन फीड करवाया गया। डी. सी. एफ. भाग दो प्रपत्र राज्य स्तरीय वेबसाइट पर बनाये गये सॉफ्टवेयर में फीड करवाये गये हैं। SIP प्रपत्रों को जिला स्तर पर ऑफलाइन फीड करने के बाद स्तर पर समेकित किया गया है। न्यूपा द्वारा तैयार डी.सी.एफ भाग एक को भी ऑनलाइन ही भरवाया जाना था किंतु, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रारंभ नहीं होने के कारण इसे न्यूपा की वेबसाइट पर फीड नहीं करवाया जा सका है। अब विद्यालयों द्वारा भरे गये SIP व डी. सी. एफ. भाग–दो की फीडींग से प्राप्त आँकड़ो के आधार डी.सी. एफ. भाग–एक हेतु आवश्यक आँकड़े तैयार करवाये जा रहे हैं। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि इन DCF का सावधानीपूर्वक इन्द्राज करावें। परिषद् की वेबसाइट पर आँकड़ों का ऑनलाइन इन्द्राज कार्य करने हेतु प्रत्येक जिले में एक

डेटा एंट्री एंजेसी का चयन किया गया है। इस प्रकार ऑनलाइन इन्द्राज किये गये आँकड़ों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सूचियों का निर्माण कर इन सूचियों को राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा जाँचा गया है। राज्य परियोजना कार्यालय के एम. आई. एस. प्रभारी द्वारा समय–समय पर जिलों के अधिकारियों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर से संपर्क स्थापित करते हुए उनके द्वारा फीड की गई गलत सूचनाओं को ढूँढने का तरीका सिखाते हुए डेटा को सही करवाया गया। इस प्रकार प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिला स्तर के अधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वितीय चरण के ऑन लाईन डाटा फीडिंग शुद्विकरण का काम करते हैं। इस प्रकार की फीडिंग से प्राप्त अंतिम आँकड़े विद्यालयों द्वारा जाँच करवाते हुए आँकड़ों के इन्द्राज को अंतिम रूप दिया जाता है।

6. **प्रतिवेदन निर्माण करना** – गत वर्ष से अलग प्रक्रिया अपनाते हुए इस वर्ष परिषद् द्वारा SIP की फीडींग व डी.सी.एफ. भाग–दो की ऑनलाईन–फीडींग से प्राप्त आँकड़ों के इन्द्राज से प्राप्त सारणियों व रिपोर्टों का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के जिला वार्षिक योजनायें बनाने हेतु प्रयुक्त किया गया है।

अध्याय –3

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA): प्रगति विवरण

15 अगस्त, 2007 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा की गई SUCCESS योजना की घोषणा को क्रियान्वित करने हेतु 2008 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नाम से एक नई परियोजना को प्रारंभ किया गया। इस नई परियोजना अर्थात् राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:–

1. राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करना।
2. प्रत्येक बस्ती के 5 किमी. की दूरी में माध्यमिक स्तर की विद्यालय तथा 7 से 10 किमी. की दूरी में उच्च माध्यमिक स्तर की विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाना।
3. सन् 2017 तक माध्यमिक शिक्षा में नामांकन को 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुँचाना।
4. माध्यमिक स्तर पर 100 प्रतिशत ठहराव के लक्ष्य को सन् 2020 तक प्राप्त करना।
5. समाज के पिछड़े वर्गों (यथा अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक) बालिकाओं व विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तक गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान राज्य में भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तहत् राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की क्रियान्विति प्रारंभ की गई है। विभिन्न जिलों द्वारा प्रस्तुत जिला योजनाओं तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने गत वर्षो के समान ही वर्ष 2011–12 के लिए भी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किए। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु दिनांक 13–14 जून 2011 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित ग्यारहवीं बैठक में राजस्थान राज्य के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए राज्य की वर्ष 2011–12 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में पेश किए गए तथा भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों तथा योजना की वास्तविक क्रियान्विती का विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकृत वार्षिक योजना

(राशि रु. लाख में)

क्र. सं.	गतिविधि	परिषद् द्वारा पीएबी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव	पीएबी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव
1	**अनावर्ती व्यय**		
	(a) सिविल निर्माण कार्य	63475.150	50456.110
	(b) मेजर रिपेयर कार्य	2496.000	1130.750
	(c) पुराने विद्यालयों में फर्नीचर	992.000	0.000
	योग	**66963.150**	**51586.860**
2	**आवर्ती व्यय**		
	(a) विद्यालय वार्षिक अनुदान	5750.000	5750.000
	(b) माइनर रिपेयर कार्य	2796.750	2791.750
	(c) विद्यमान विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों का वेतन	22347.600	17522.400
	(d) संस्थाप्रधानों का प्रशिक्षण	105.365	48.630
	(e) माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण	434.715	434.490
	(f) पुस्तकालयाध्यक्षों का प्रशिक्षण	4.464	4.460
	(g) रेडियो कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण	3.200	2.180
	(h) रेडियो कार्यक्रम प्रशिक्षण (100 एपीसोड–रिपिल ओवर)	0.000	0.300
	(i) शारीरिक शिक्षकों हेतु योग प्रशिक्षण	20.640	20.640
	(j) विद्यार्थियों हेतु अन्तरा राज्यीय भ्रमण	33.000	13.200
	(k) विद्यार्थियों हेतु अन्तर राज्यीय भ्रमण	13.200	13.200
	(l) शैक्षिक अधिकारियों हेतु नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण	2.500	2.500
	(m) कक्षा 9 के विद्यार्थियों अधिगम स्तर की पहचान	105.600	0.000
	(n) विद्यालयों में अग्रेजी भाषा शिक्षण सॉफ्टवेयर	100.000	0.000
	(o) विद्यार्थियों द्वारा अधिगम स्तर का ऑनलाइन स्वमूल्यांकन एवँ ऑनलाइन क्वालिटी परीक्षण	227.500	0.000
	(p) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों व बी.पी.एल. परिवारों की कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 60 से 75 प्रतिशत के मध्य अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरूस्कार के समान छात्रवृत्ति देना	260.000	0.000
	(q) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देना	90.000	0.000
	(r) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के परिवारों के कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देना	255.000	0.000
	(s) बी.पी.एल. परिवारों के कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देना	225.000	0.000
	(t) ऑपन स्कूल व्यवस्था वाले विद्यार्थियों को विद्यार्थियों की सहायता	179.800	0.000

	(u) राज्य की शैक्षिक GIS मेपिंग करवाना	130.000	0.000
	(v) पुस्तक मेला (स्पिल ओवर)	0.000	33.000
	(w)विद्यालय विकास समिति सदस्यों का प्रशिक्षण	MMER गतिविधियों में शामिल	60.170
	योग	**33084.334**	26696.920
3	MMER गतिविधियाँ–		
	(a) विद्यालय विकास समिति सदस्यों का प्रशिक्षण	40.116	कुल स्वीकृत राशि की 2 % राशि = 773.800 + 400.450 = 1174.250
	(b) मॉनिटरिंग गतिविधियाँ	129.000	
	(c) अन्य MMER गतिविधियाँ	2199.250	
	योग	**2368.366**	1174.250
4	**कुल योग**	**102415.850**	**79458.030**

उक्तानुसार स्वीकृत वार्षिक योजना व गत वर्ष में स्वीकृत वार्षिक योजना में प्राप्त व व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है–

(राशि रु. लाख में)

क्र. स.	दिनांक	प्राप्त राशि का विवरण	प्राप्त राशि			वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया व्यय
			केंद्रांश	राज्यांश	योग	
1	02.08.2011	वर्ष 2010–11 में आवर्ती व्यय में केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि का राज्यांश	0.000	1765.350	1765.350	12885.378
2	01.10.2011	वर्ष 2010–11 में अनावर्ती व्यय में स्वीकृत राशि के केन्द्रांश की प्रथम किस्त का प्रथम भाग	8877.820	0.000	8877.820	
		वर्ष 2010–11 में अनावर्ती व्यय में स्वीकृत राशि के केन्द्रांश की प्रथम किस्त का द्वितीय भाग	572.760	0.000	572.760	
3	04.11.2011	वर्ष 2011–12 में आवर्ती व्यय में स्वीकृत राशि के केन्द्रांश की प्रथम किस्त का प्रथम भाग	3928.900	0.000	3928.900	
		वर्ष 2011–12 में आवर्ती व्यय में स्वीकृत राशि के केन्द्रांश की प्रथम किस्त का द्वितीय भाग	1309.610	0.000	1309.610	
4	13.02.2012	वर्ष 2011–12 में आवर्ती व्यय में केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि का राज्यांश	0.000	1746.170	1746.170	
		वर्ष 2010–11 में स्वीकृत योजना के अनावर्ती व्यय मद में केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि का राज्यांश	0.000	2275.190	2275.190	
5		**योग**	**14689.090**	**5786.710**	**20475.80**	**12885.378**

उक्तानुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तहत संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में अनावर्ती व आवर्ती गतिविधियों के अन्तर्गत स्वीकृत व वास्तविक रूप से प्राप्त राशि का राज्य में कक्षा 9 व 10 संचालित करने वाली माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपयोग में लिया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य परियोजना मुख्यालय पर प्राप्त राशि जिलों को स्थानान्तरित की जाती है। जिलों में कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यह राशि वार्षिक योजना में स्वीकृत विद्यालयों को जारी की जाती है। विद्यालयों द्वारा इस राशि का उपयोग उनके द्वारा प्रस्तुत विद्यालय उन्नयन योजना में दर्शाई गई गतिविधियों में विद्यालय विकास समिति व जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2011–12 में विभिन्न विद्यालयों द्वारा निम्न गतिविधियों में व्यय किया गया–

1. लगभग 11,500 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में प्राप्त राशि का विद्यालयों में पुस्तकालय व वाचनालय हेतु समाचार पत्रों, पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं का क्रय, प्रयोगशालाओं हेतु रसायनों व उपकरणों के रखरखाव तथा क्रय करने में एवं विद्यालयों में जल, विद्युत तथा स्टेशनरी आदि में उपयोग किया गया।
2. राज्य की उन सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को माइनर रिपेयर मद में राशि जारी की गई थी, जिन विद्यालयों के पास स्वयं का भवन है। माइनर रिपेयर मद में प्राप्त राशि का उपयोग विद्यालय भवनों की छोटी–मोटी टूटफूट की मरम्मत करवाने में किया गया।
3. इसी प्रकार प्रशिक्षण मद में प्राप्त राशि का संस्था प्रधानों, विषयाध्यापकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों आदि के प्रशिक्षण में उपयोग किया गया।
4. वर्ष 2010–11 में स्वीकृत वार्षिक योजना के तहत होने वाले सिविल निर्माण कार्य व मेजर रिपेयर के कार्य करवाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग पूर्व स्वीकृत विद्यालयों में यह कार्य सम्पन्न करवाने हेतु प्रयोग किया जा रहा है।
5. राज्य के विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं में उत्तम परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को अर्न्तराज्यीय व अन्तरा राज्यीय भ्रमण करवाने हेतु।
6. राज्य व जिला परियोजना कार्यालयों के संचालन में होने वाला प्रशासनिक व्यय।

(87)

अध्याय –4

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA): आडिट रिपोर्ट

~*~

"R.M.S.A."

Audit Report for the year ended 31.03.2012

Rajasthan Council for Secondary Education, Jaipur Rajasthan

~*~

Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
G-3-4, Shivgyan Avenue,
2 Yudhisther Marg, C- Scheme,
Jaipur (Raj)-302005
Tel : 0141-2222021 Fax : 2223021

~*~

GARG NARENDRA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

109-110, Shivgyan Avenue
2, Yudhisthir Marg, C-Scheme, Jaipur - 302 005
Tel : 0141-2222021, 2223021
E-mail : nkg@gna-ca.com, Website : www.gna-ca.com

AUDIT REPORT

We have examined the Balance Sheet as at 31st March, 2012 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date, attached herewith of **Rajasthan Council for Secondary Education, State Office – R.M.S.A. Scheme, Jaipur, Rajasthan.**

1. We certify that the Balance Sheet and the Income & Expenditure account are in agreement with the books of account maintained at the **State Office.**

2. We conduct our audit in accordance with generally accepted audit standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material mis-statements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting principle used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3.
   (A) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   (B) In our opinion, proper books of account have been kept by the **State Office** of the Rajasthan Council for Secondary Education so for as it appears from our examination of the books.

   (C) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, read with notes thereon ,if any, give a true and fair view.

      (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of the affairs of the **State Office** as at **31st March, 2012**, and

      (ii) In the case of the Income & Expenditure account of the **surplus** of the **State Office** for the year ended on that date.

      (iii) In the case of Receipt and Payment Account of the **State Office** for the year ended on that date.

For GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

PLACE : JAIPUR
DATED : 20.12.2012

(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
PARTNER
M. No. 077501

Rajasthan Council for Secondary Education,
State Office
R.M.S.A.

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2012

LIABILITIES		AMOUNT (IN Rs.)	ASSETS		AMOUNT (IN Rs.)
CAPITAL FUND			**FIXED ASSETS**		
Op. Balance	106276407.00		**Furniture & Fixtures**		
Add : Surplus during the yr.	763662749.00	869939156.00	Opening Balance	485978.00	
			Add : During the year	86213.00	572191.00
CURRENT LIABILITIES					
			Office Equipments		
Security Deposit	30000.00		Opening Balance	61273.00	
NCERT Funds	822423.00		Add : During the year	88154.00	149427.00
TDS Payable	20027.00				
Sundry Creditors	15488.00		**CURRENT ASSETS & ADVANCES**		
PF Payable	24051.00				
Advance from Girls Hostel	498718.00		Security Deposit - BSNL		3300.00
Advance from Model School	11021925.00	12432632.00	Advances to Districts for Training Expenses		1466912.00
			Advances to Staff & Others		4523070.00
			CASH & BANK BALANCES		
			SBBJ Bank		875658857.00
			Cash in Hand		31.00
		882371788.00			882371788.00

For Rajasthan Council for Secondary Education

State Project Director
राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

Sr. Accounts Officer
मुख्य लेखाधिकारी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

PLACE : JAIPUR
DATE : 20.12.2012

In terms of our seprate reprt of even date
FOR GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
Partner
M.No. 077501

(90)

Rajasthan Council for Secondary Education,
State Office
R.M.S.A.

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR FROM 01.04.2011 TO 31.03.2012

RECEIPT		AMOUNT (IN Rs.)	PAYMENTS		AMOUNT (IN Rs.)
To Opening Balance:			By Grant Disbursed		1270257258.00
SBBJ Bank		104352878.00			
Cash in Hand		3157.00			
To Grant Received			By Advertisement		2421411.00
G.O.I	1468909600.00				
G.O.R.	578671000.00	2047580000.00	By Administrative & Office Exp.		
			Audit Fees	280900.00	
To S.B. Interest		4597692.00	Books & Periodicals	834.00	
To Tender Fees		21800.00	Building Maintenance	446899.00	
To RTI Receipts		980.00	Computer Operator	806894.00	
To Security Deposit		30000.00	Consultancy Fees	641596.00	
To Transfer from Model School		9510000.00	DCF Expenses	357071.00	
To Transfer from Girls Hostel		498718.00	Electricity Expenses	25144.00	
			Medical Reimbursement	54220.00	
			Miscellaneous Expenses	27478.00	
			Office Expenses	37853.00	
			Pension Contribution	356094.00	
			Printing & Stationary	279761.00	
			Salary	9730839.00	
			Security & Maintenance	124953.00	
			Staff Welfare	135648.00	
			TA-DA Expenses	370802.00	
			Telephone & Postage	222686.00	
			Training Expenses	212209.00	
			Vehicle Rent & Travelling Expenses	1112019.00	15226002.00
			By Furniture & Fixtures		92624.00
			By Office Equipments		87078.00
			By Advances to DPC		299051.00
			By Security Deposit Refund		13800.00
			By Advances to Staff & Others		
			Advance for GIS Mapping	2000000.00	
			NICSI	500000.00	
			Advance with Staff	41113.00	2541113.00
			By Closing Balance		
			SBBJ Bank		875656857.00
			Cash in Hand		31.00
		2166595225.00			**2166595225.00**

For Rajasthan Council for Secondary Education

State Project Director / Sr. Accounts Officer

PLACE : JAIPUR
DATE : 20.12.2012

In terms of our seprate reprt of even date
FOR GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
Partner
M No. 077561

Rajasthan Council for Secondary Education,
State Office
R.M.S.A.

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR FROM 01.04.2011 TO 31.03.2012

EXPENDITURE		AMOUNT (IN Rs.)	INCOME		AMOUNT (IN Rs.)
To Grant Disbursed		1270845664.00	By Grant Received		
(33 Districts as per Annexure-I)			C.O.I	1468909000.00	
			G.O.R	578671000.00	2047580000.00
To Advertisement		2418707.00			
			By S.B. Interest		4597692.00
To Administrative & Office Exp.			By Tender Fees		21800.00
Audit Fees	294580.00		By RTI Receipts		980.00
Books & Periodicals	834.00				
Building Maintenance	444859.00				
Computer Operator	813338.00				
Consultancy Fees	641598.00				
DCF Expenses	357071.00				
Electricity Expenses	25144.00				
Medical Reimbursement	54220.00				
Miscellaneous Expenses	27478.00				
Office Expenses	37853.00				
Pension Contribution	356094.00				
Printing & Stationary	280477.00				
Salary	9762960.00				
Security & Maintenance	124953.00				
Staff Welfare	135802.00				
TA-DA Expenses	370802.00				
Telephone & Postage	222686.00				
Training Expenses	213930.00				
Vehicle Rent & Travelling Expenses	1108673.00	15273352.00			
To Surplus		**763662749.00**			
		2052200472.00			**2052200472.00**

For Rajasthan Council for Secondary Education

राज्य परियोजना निदेशक
State Project Director
जयपुर

वरिष्ठ लेखाधिकारी
Sr. Accounts Officer
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

PLACE : JAIPUR
DATE : 20.12.2012

In terms of our seprate reprt of even date
FOR GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
Partner
M.No. 077501

(92)

Rajasthan Council for Secondary Education
State Office
R.M.S.A - Girls Hostel - Model School
Jaipur (Rajasthan)
For the year ending 31st March 2012

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. **Basis of preparation**

   The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the mandatory Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements have been prepared under "Cash Basis" and all the income and expenditure are recognised on Cash Basis. The accounting policies have been consistently applied by the auditee and are consistent with those used in the previous year except treatment of grant which has been changed from capital to revenue approach during the current year.

   Double entry accounting system has not been followed as no Ledger, Journal books are maintained. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter IV, Rule-24)*

2. **Cash & Bank**

   a. Cash Balance as on 31.03.2012 is Rs. 31.00 as per cash book.

   b. Bank Balance taken and accepted as per bank /cash book.

   c. Bank reconciliation statement has not been prepared by the auditee. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter IV, Rule-30)*

3. Stationery and consumables are booked as expense in the year of payment.

4. Expenditure is booked in Income & Expenditure Account on the basis of payment made. Utilisation Certificate has not been received and not considered for booking of expenditure.

5. Bank charges have been shown as net of reimbursement.

6. Balance in personal accounts are subject to confirmation.

7. During the year 24,447.00 received as bank interest (SBBJ Bank) has not been entered in books of accounts maintained by the state office, therefore bank balance and surplus of the state has been understated by Rs.24,447.00 *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

8. *During the year a sum of Rs. 6,22,02,686.00 received as F.D.R. Interest from Bank of Maharashtra and TDS thereon Rs.62,20,276.00 has not been accounted for in the books maintained by State office, therefore, surplus of the state office has been understated by Rs.6,22,02,686.00 and Bank Balance has also been understated by Rs. 5,59,82,410.00 and Current Assets (TDS) of state office has been understated by Rs.62,20,276.00 (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

For Rajasthan Council for Secondary Education

राज्य परियोजना निदेशक
(State Project Director)
जयपुर

मुख्य लेखाधिकारी
(Sr. Accounts Officer)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

GARG RAJENDRA & ASSOCIATES
JAIPUR

Rajasthan Council for Secondary Education
State Office
R.M.S.A - Girls Hostel - Model School
Jaipur (Rajasthan)
For the year ending 31st March 2012

9. *During the year there is accrued interest on FDR from Bank of Maharashtra amounting to Rs.2,10,71,210.00 and TDS thereon Rs.21,07,121.00 has not been accounted for in the books maintained by State office, therefore surplus of the state office has been understated by Rs.2,10,71,210.00 and Bank Balance has also been understated by Rs. 1,89,64,089.00 and Current Assets (TDS) of state office has been understated by Rs. 21,07,121.00 (Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

10. *During the year the Bank of Maharashtra has deducted TDS amounting to Rs. 83,27,397.00 which is not required to be deducted in the light of provisions of The Income Tax Act,1961 resulting into blocking of this huge sum.*

11. During the year Rs. 617.00 has been deducted as bank charges by Bank of Baroda, which has not been entered in books of accounts maintained by the state office, therefore surplus & bank balance of the state has been overstated by Rs.617.00 *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

12. During the year state office has made payment on account of travelling which has not been properly verified & authenticated. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part – I vide chapter III, Rule 18)*

13. During the year state office has paid Rs.2,04,000.00 as grant to Jhalawar District office, but the amount has not been credited in bank balance maintained by state office. Hence, bank balance has been overstated by Rs.2,04,000.00 therefore, surplus of the state has been overstated by the same. *(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter III, Rule-13)*

14. During the year cheques/ NEFT made and later on the same has been cancelled, but the amount has not been debited in bank balance maintained by state office. Hence, bank balance has been understated by Rs.17,170.00 and advances has been overstated by Rs.17,170.00.

15. During the course of audit, State office have collected / deducted various statutory deductions such as TDS, WCT and others as applicable, but the payment to concerned govt. department was not made in stipulated time as prescribed by the respective statue which may result in financial burden in shape of interest & penalty and personal accountability of concerned person.

16. During the year the state office has not deducted the TDS on following payments :-
(Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter V, Rule-36)

Amount	Payment made to	On Account of
1,07,253.00	Jaipur Ex-men Welfare Society	Security & Maintenance Expenses
40,421.00	Hotel Khasa Kothi	Training Expenses
11,848.00	Hotel Gangaur	Training Expenses

For Rajasthan Council for Secondary Education

(State Project Director)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

(Sr. Account Officer)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
जयपुर

Rajasthan Council for Secondary Education
State Office
R.M.S.A - [illegible] Hostel - Model School
[illegible] (Rajasthan)
For the year ending 31st March 2012

17. During the year the state [illegible] deducted less/short TDS on payments :-

TDS Deducted	TDS to be Deducted	[illegible]	[illegible]	Payment made to	On Account of
3,054.00	15,778.00	[illegible]	[illegible]	Goyal Darda and Co.	Audit Work
16,232.00	16,617.00	[illegible]	[illegible]	Jitendra Computers	Computer Expenses
11,581.00	12,832.00	[illegible]	[illegible]	CDEOS	Consultancy Expenses
374.00	1,239.00	[illegible]	[illegible]	Lokmitra International	Stationary Expenses
1,218.00	2,697.00	[illegible]	[illegible]	Milan Sweets	Staff Welfare Expenses

18. During the year SPO has g[illegible] [illegible]nce to Suppliers & Staff for Rs.41,113.00 which are outstanding/unadjuste[illegible] [illegible]1.03.2012. (*Irregularity \ non-compliance of BF&AR of RCSE Part-I vide chapter VI, Ru[illegible]*)

For Rajasthan Council for S[illegible] Education

(State Project Director)
राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जयपुर

(Accounts Officer)

IN TERMS OF OUR SEPRATE REPORT OF EVEN DATE
For GARG NARENDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008712C

(NARENDRA KUMAR AGARWAL)
PARTNER
M.No.077501

Place : Jaipur
Dated : 20.12.2012

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद
डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर– 302017
दूरभाष: 0141–2709846, 2700892 ई–मेल: spdrmsaraj@gmail.com